प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Two days Training Programme on SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989"

दिनांक 15-05-2023 से 16-05-2023

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

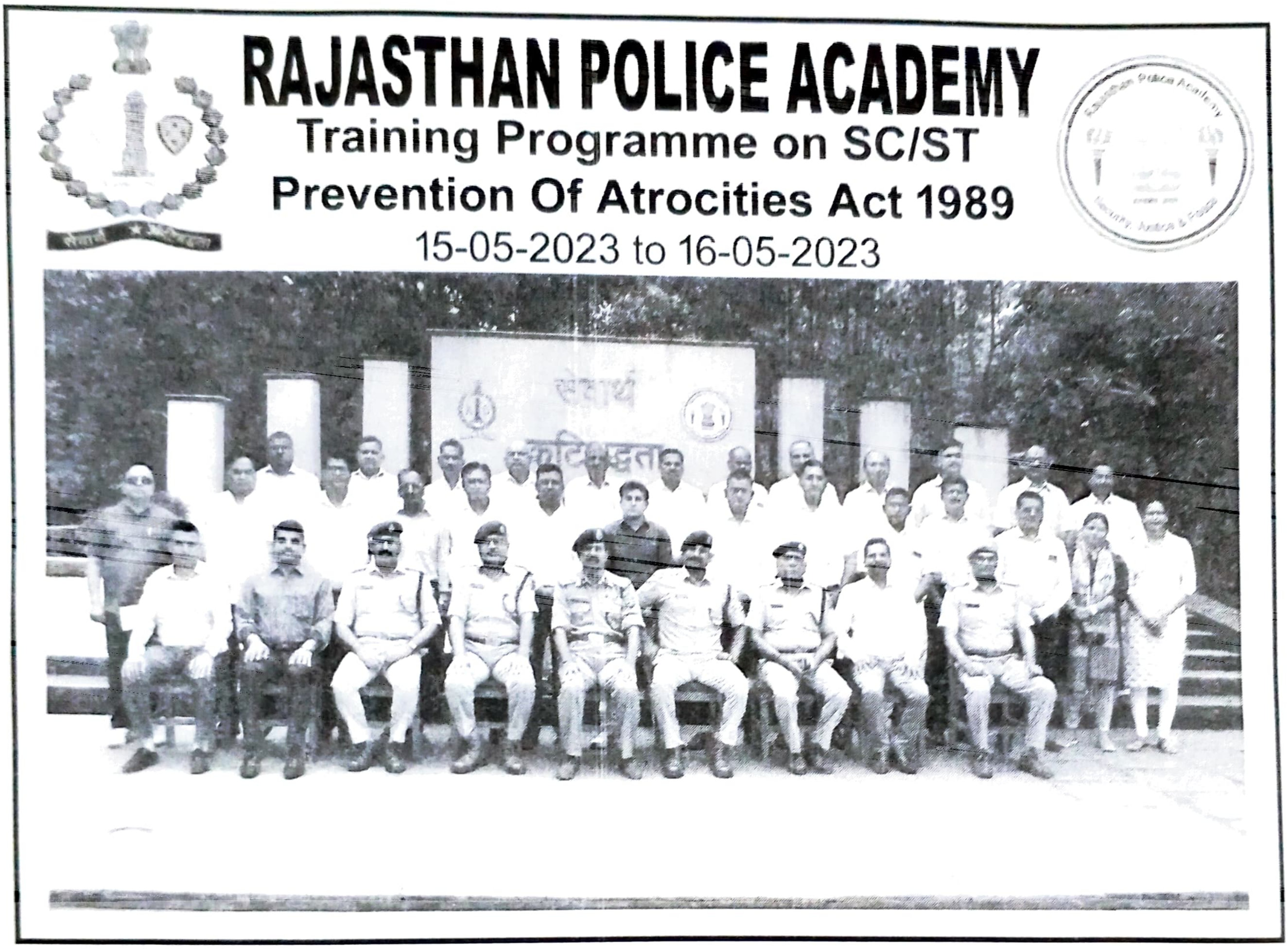

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **15-05-2023** से **16-05-2023** तक **"Training Programme on SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989"** विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू आरपीएस क्लास रूम में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री मुरारी लाल पारिस, उप निदेशक अभियोजन विभाग , जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 28 प्रतिभागियों जिसमें 02 उप अधीक्षक पुलिस, 09 पुलिस निरीक्षक , 01 उप निरीक्षक एवं 16 विशेष लोक अभियोजकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-11:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्रीमती सीमा हिंगोनिया,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नियम और पुनर्गठन,नेअनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधान से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र में श्री महेंद्र सहारन एडीपी,

आरपीए, जयपुर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में वित्तीय सहायता और इसके प्रावधान के बारे में विस्तार से समझाया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र श्री रमेश कुमार चौधरी, पी.आई. आरपीए, जयपुर ने संशोधनों के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में संबंधित सभी कार्यों के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री गिरधर सिंह,आरपीएस, (सेवानिवृत्त) ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 से संबंधित भूमि विवाद एवं विभागीय परिपत्र के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक,आरपीए, जयपुर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, जे जे अधिनियम, 2015 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 संयुक्त सत्र के बारे में समझाया।

श्री कैलाश चन्द्र जाट,उप महानिरीक्षक आर.पी.ए.जयपुर , मुख्य अतिथित्य के द्वारा अपने अनुभव साझा किये गये तथा कोर्स के समापन सत्र का आयोजन किया गया जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स के अन्त में कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का विधिवत समापन किया गया।

हस्ताक्षर

कोर्स निदेशक